न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस

अपील संख्याः 13/23 निर्णय दिनांकः 04-03-2024
(जीसीएमएस संख्या 2023/58)

1. भारमल पुत्र श्री धन्नाराम जाति विश्नोई निवासी भोजासर हाल–चक 1 बीएलडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. अन्नकोरी पुत्री आशाराम पत्नी पुराराम जाति जाट निवासी रेणा हाल चक 1 बीएलडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार(राजस्व) पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, पूगल
दिनांक 02–02–2023

उपस्थितः–

1. श्री विजय भादाणी अपीलांट अभिभाषक
2. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 02–02–2023 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की अवहेलना करते हुए रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् की खातेदारी कृषि भूमि तहसील पूगल के चक 1 बीएलडी के मुरब्बा नंबर 27/32 के किला नंबर 21 ता 25 में तादादी 5 बीघा भूमि पर स्थित है। अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के किला नंबर 21 में से किला नंबर 1 ता 20 में आवागमन हेतु रास्ता दिया हुआ है। मुरब्बा नंबर 27/32 के किला नंबर 1 ता 20 पूर्व में एक काश्तकार को आवंटित था जिसका कालान्तर में 5–5 बीघा भूमि का आपसी सहमति से अन्य काश्ताकारों द्वारा बंटवारा कर लिया गया। उक्त काश्तकारों के द्वारा बंटवारे के समय राश्ते के प्रावधान किये बगैर ही अपीलांट की खातेदारी भूमि के किला नंबर 25 मे से एक अन्य रास्ते की मांग अदालत मातहत के समक्ष किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा बिना अपीलांट को सुने ही एकतरफा तौर पर किला नंबर 25 में सें नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये हैं। उक्त आदेश के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20–03–2023 को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि मौके पर किला नम्बर 21 में उपलब्ध रास्ते की व्यवस्था की जॉच करते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। इसप्रकार न्यायालय हाजा के स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01–02–2023 को पत्रावली को पेशी में लेते हुए अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही दिनांक 02–02–2023 को आदेश पारित करते हुए पूर्ववर्ती किला नम्बर 25 में से रास्ता कायम करने के आदेश विधि विरूद्व तरीके से पारित किये गये है।

प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् न्यायालय हाजा द्वारा स्पष्ट रूप से आदेश पारित किये जाने के बावजुद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उच्चतर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे व निर्देशित किया जावे कि वे न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 20–01–2023 के अनुसरण में विधि सम्मत् कार्यवाही सम्पादित करे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2016 पार्ट ।।पेज 1281, आरआरटी 2022–23 स्प. पेज 201, आरआरटी 2014 पार्ट ।। पेज

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

1440, आरआरटी 2016 पार्ट II पेज 798, आरआरटी 2022—23 स्प. पेज 282 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22—03—2021 को किला नम्बर 25 में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट् द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20—01—2023 को अपीलांट् की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए नियमानुसार अपीलांट् को सूचित किया गया। अपीलांट् के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी स्वयं के द्वारा मौक पर उपस्थित होकर जॉच की गई व जॉच के उपरान्त चक 1 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 27/32 के किला नम्बर 25 में 2 बिस्वा रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये। इस प्रकार अपीलांट् का यह कथन कि रिमाण्ड आदेशों के अनुसरण में अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

प्रकरण में जहॉ तक किला नम्बर 21 में से रास्ते की उपलब्धता की जॉच का प्रश्न है, इस संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौके पर जाकर जॉच की गई व जॉच के उपरान्त किला नम्बर 25 में से रास्ता दर्ज करने के आदेश मौके की वास्तविक स्थिति के अनुरूप जारी किये गये है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की पूर्ण पालना करने के उपरान्त ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट् की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में प्रस्तुत अपील के माध्यम से मात्र इस तथ्य की जॉच की जानी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, पूगल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02—02—2023 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 4/3/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर